<u>प्रारूप सीआरजेड अधिसूचना, 2018</u>

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक.....,2018

सा.का.नि. .....(अ). पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 19 (अ) दिनांक 6 जनवरी, 2011 (इसमें इसके पश्चात तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के रूप में उल्लिखित) द्वारा केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत कुछ तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र (इसमें इसके पश्चात सीआरजेड के रूप में उल्लिखित) के रूप में घोषित किया था;

और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समुद्री तथा तटीय पारितंत्रों के प्रबंधन एवं संरक्षण, तटीय क्षेत्रों में विकास, पारि-पर्यटन, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की जीविका के विकल्पों तथा वहनीय विकास इत्यादि के संबंध में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में कुछ उपबंधों के बारे में अन्य हितधारकों के अतिरिक्त, विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के संदर्भ में तटीय पर्यावरण और वहनीय विकास से संबंधित चिंताओं का निराकरण करने का आग्रह किया है;

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के संबंध में विभिन्न मुद्दों तथा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न हितधारकों की चिंताओं की जांच करने और उक्त अधिसूचना में समुचित परिवर्तन किए जाने की सिफारिश करने के लिए डॉ. शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था;

मंत्रालय में डॉ. शैलेश नायक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की गई है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किए गए हैं;

अत: अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा और प्राकृतिक जोखिमों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों के अद्वितीय पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से एतदद्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप तथा इन द्वीपसमूहों के आस-पास के समुद्री क्षेत्रों को छोड़कर देश के तटीय क्षेत्रों और इसकी क्षेत्रीय जल सीमा को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में निम्नवत घोषित करती है:

(i) उच्च ज्वार रेखा (यहां इसके बाद एचटीएल के रूप में संदर्भित) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर का भू-क्षेत्र ।

इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु एचटीएल से भूमि पर वह रेखा अभिप्रेत है जहां तक उत्पन्न होने वाले ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है, जैसाकि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम) द्वारा सीमांकित और विभिन्न तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है।

(ii) सीआरजेड उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो एचटीएल से लेकर 50 मीटर या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो, ज्वार से प्रभावित जल निकायों, जो कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, के मध्य स्थित वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित जल निकायों के आस-पास विकासात्मक कार्यकलापों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष की शुष्क अवधि में लवणीयता की मात्रा को पांच भाग प्रति हजार (पीपीटी) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं (यहां इसके बाद सीजेडएमपी के रूप में संदर्भित) के अनुसार अभिज्ञात करके उसका निर्धारण किया जाएगा।

तथापि, 50 मीटर की यह सीआरजेड सीमा या क्रीक की चौड़ाई, जो भी कम हो, इस अधिसूचना, जिसे उचित परामर्शी प्रक्रिया/जनसुनवाई इत्यादि के साथ तैयार किया गया है, के अनुसार संबंधित सीजेडएमपी के संशोधन तथा अन्तिम अनुमोदन और इसमें सूचीबद्ध पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अध्यधीन होगी। इस अधिसूचना की सीजेडएमपी का अनुमोदन होने तक, 100 मीटर या क्रीक की चौड़ाई की सीमा जो भी कम हो, लागू होगी।

स्पष्टीकरण :- इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ज्वार प्रभावित जल निकायों का अर्थ है खाड़ी, नदी मुहाना, नदी, क्रीक, बैकवाटर, लेगून और तालाब इत्यादि जो समुद्र से मिले हुए हों, में समुद्र से ज्वारीय प्रभावों से प्रभावित जल निकाय।

(iii) एचटीएल तथा निम्न ज्वारीय रेखा (यहां इसके बाद एलटीएल के रूप में संदर्भित) के मध्य स्थित अन्तर ज्वारीय क्षेत्र अर्थात भूमि क्षेत्र ।

(iv) ज्वार से से प्रभावित जल निकायों के लिए समुद्र और जल के मामले में एलटीएल एवं क्षेत्रीय जल सीमा (12 समुद्री मील) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र और किनारे की विपरीत दिशा में एलटीएल से किनारे पर एलटीएल के बीच के क्षेत्र

2. सीआरजेड का वर्गीकरण - तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल के संरक्षण और सुरक्षा के परियोजनार्थ सीआरजेड क्षेत्र का निम्नवत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :-

2.1 सीआरजेड -I क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं और इन्हें निम्नवत और वर्गीकृत किया जाएगा:

2.1.1-Iक:

(क) सीआरजेड-Iक में पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील और भू-आकृति की विशेषताओं वाले निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जो तट की अखंडता को बरकरार रखने में भूमिका निभाते हैं अर्थात् :

(i) कच्छ वनस्पति । यदि कच्छ वनस्पति क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो कच्छ वनस्पति के किनारे 50 मीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे क्षेत्र में सीआरजेड-।क भी शामिल होगा।

(ii) प्रवाल और प्रवाल भित्ति;

(iii) बालू के टीले;

(iv) जैविक रूप से सक्रिय नमभूमि (मडफ्लैट);

(v) जैवमंडल रिजर्वों सहित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क, अभयारण्य, रिजर्व वन, वन्यजीव पर्यावास और अन्य संरक्षित क्षेत्र;

(vi) नमकीन दलदल;

(vii) कछुआ प्रजनन स्थल;

(viii) हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास;

(ix) समुद्री घास का मैदान;

(x) पक्षियों के प्रजनन का स्थान;

(xi) पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र या संरचनाएं और धरोहर स्थल ।

(ख) **अनुबंध-। में यथानिहित और सीजेडएमपी में एकीकृत दिशानिर्देशों के आधार पर एनसीएससीएम द्वारा यथा मानचित्रित संबंधित क्षेत्रों में ऐसे ईएसए के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई जाएगी।**

2.1.2 सीआरजेड-। ख:

अन्तरज्वारीय क्षेत्र अर्थात् निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का क्षेत्र सीआरजेड-।ख में शामिल होगा ।

2.2 सीआरजेड-।।

सीआरजेड-।। में विद्यमान नगरीय सीमाओं या अन्य विद्यमान कानूनी रूप से अधिकृत शहरी क्षेत्रों जो बिल्टअप प्लॉटों से 50 प्रतिशत से अधिक होते हुए कुल प्लॉटों के अनुपात के साथ पर्याप्त बिल्टअप हों और जहां ड्रेनेज तथा सम्पर्क सड़कों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे जलापूर्ति और सीवरेज मेन इत्यादि की व्यवस्था की गई हो, के अन्दर तटरेखा तक या इसके समीप विकसित भूमि क्षेत्र शामिल होंगे।

2.3 सीआरजेड-।।।

ऐसे भूमि क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अहस्तक्षेपित (अर्थात ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि) हैं और जो सीआरजेड-।। के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सीआरजेड-।।। में शामिल होंगे। सीआरजेड-।।। को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

2.3.1 सीआरजेड-।।। क

ऐसी घनी आबादी वाले सीआरजेड-।।। क्षेत्र, जहां 2011 जनगणना आधार के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर 2161 से अधिक हो, उन्हें सीआरजेड-।।।क के रूप में नामित किया जाएगा। सीआरजेड-।।।क में, भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 50 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि इस अधिसूचना के अनुसार सीजेडएमपी जिसे उचित परामर्शी प्रक्रिया के साथ तैयार किया गया हो, को अनुमोदित किया गया है जिसके न होने पर 200 मीटर का 'नो डेवलपमेंट जोन' लागू रहेगा।

2.3.2 सीआरजेड-।।। ख

वर्ष 2011 जनगणना आधार के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 2161 से कम जनसंख्या घनत्व वाले सभी अन्य सीआरजेड-।।। क्षेत्र सीआरजेड-।।।ख के रूप में नामित किए जाएंगे। सीआरजेड-।।।ख में, भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 200 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

2.3.3

ज्वार प्रभावित जल निकायों के किनारे एचटीएल से 50 मीटर तक भूमि क्षेत्र या क्रीक की चौड़ाई, जो भी कम हो, को भी सीआरजेड ।।। क्षेत्रों में एनडीजेड के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

टिप्पणी: अधिसूचित पत्तन सीमाओं में आने वाले ऐसे क्षेत्रों में एनडीजेड लागू नहीं होगा।

2.4 सीआरजेड-IV:

सीआरजेड-IV में जल क्षेत्र शामिल होंगे और इन्हें आगे निम्नवत वर्गीकृत किया जाएगा:

2.4.1 सीआरजेड-IV क

समुद्र की ओर वाले भाग पर बारह (12) समुद्री मील तक निम्न ज्वार रेखा के बीच जल क्षेत्र और समुद्र तल क्षेत्र 2.4 सीआरजेड-IVक में शामिल होंगे।

2.4.2 सीआरजेड-IV ख

सीआरजेड-IV ख क्षेत्रों में ज्वार से प्रभावित जल निकायों के किनारे पर एलटीएल और ज्वार के प्रभाव अर्थात् वर्ष के शुष्कतम मौसम के दौरान पांच भाग प्रति हजार (पीपीटी) की लवण्यता तक समुद्र में जल निकाय के मुहाने से विस्तृत होकर किनारे के विपरीत दिशा में एलटीएल के बीच जल क्षेत्र और तल क्षेत्र शामिल होंगे।

3. सीआरजेड में विशेष ध्यान की अपेक्षा रखने वाले क्षेत्र

निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों पर संकटपूर्ण तटीय पर्यावरण के संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के प्रयोजनार्थविशेष ध्यान दिया जाएगा:-

3.1 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अभिज्ञात पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र और अन्य पारि-संवेदनशील क्षेत्रों जैसे गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में मालवन, अचरा- रत्नागिरि, कर्नाटक में कारबार और कूंडापुर, केरल में वैम्बानाड, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी ओडिशा में भैयतार कनिका, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा को गंभीर रूप से असुरक्षित तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) के रूप में लिया जाएगा और उनका प्रबंधन तटीय समुदायों, जिनमें वे मछुवारे शामिल हैं जो अपनी स्थायी आजीविका के लिए तटीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं को शामिल कर के किया जाएगा।

3.2 अंतर्देशीय पश्चजल द्वीपों और मुख्य भूमि तट के साथ-साथ द्वीपों के लिए सीआरजेड।

3.3 बृहन मुंबई की नगरीय सीमाओं के भीतर आने वाले सीआरजेड।

4. सीआरजेड के भीतर प्रतिषेधित क्रियाकलाप

सामान्यत: निम्नलिखित क्रियाकलाप को पूरे सीआरजेड में प्रतिषेधित किया जाएगा। तथापि, इनके अपवाद तथा विनिर्दिष्ट सीआरजेड श्रेणियों, जैसे सीआरजेड-।, ।।, ।।। और IV में अनुमत्य/ विनियमित अन्य क्रियाकलाप को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन उपबंधों के द्वारा शासित किया जाएगा।

(i) नये उद्योगों की स्थापना और विद्यमान उद्योगों, प्रचालनों या प्रक्रियाओं का विस्तार।
(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट, तेल का विनिर्माण या हथालन, खतरनाक पदार्थों का भंडारण या निपटान।
(iii) नई मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाना।
(iv) भूमि सुधार, समुद्री जल के स्वभाविक प्रवाह पर बंध लगाया जाना या उसमें बाधा डालना।
(v) उद्योगों, शहरों या नगरों तथा अन्य मानवीय बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहि:स्रावों का छोड़ा जाना।
(vi) भूमि के भराव के प्रयोजन से सन्निर्माणकामलबा, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, फ्लाईएश सहित शहर या नगर के अपशिष्ट काडलाव।
(vii) तट के अधिक कटाव वाले क्षेत्रों में बंदरगाह और पोताश्रय।
(viii) रेत, चट्टानों तथा निचली सतहों में अन्य सामग्रियों का खनन।
(ix) सक्रिय रेत टीलों की छंटाई या उनमें बदलाव।
(x) जल प्रणाली और समुद्री जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए तटीय जलक्षेत्रों में प्लास्टिक सामग्री को फेंके जाने का प्रतिषेध किया जाएगा। सीआरजेड में प्लास्टिक सामग्री के प्रबंधन और निपटान के लिए पर्याप्त उपाय किये जाएंगे।

5. सीआरजेड में अनुमत्य क्रियाकलाप का विनियमन

5.1 सीआरजेड-।

5.1.1 सीआरजेड–। क

ये क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हैं और सामान्य रूप से सीआरजेड-।क क्षेत्रों में निम्नलिखित अपवादों सहित, कोई क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा:

(i) इस अधिसूचना के अनुसार, अनुमोदित सीजेडएमपी में निर्दिष्ट, ऐसी पारि-पर्यटन योजना के अध्यधीन,अभिज्ञात क्षेत्रों में कच्छ भूमि भ्रमण, वृक्ष कुटीर, प्राकृतिक मार्ग इत्यादि जैसे पारि-पर्यटन क्रियाकलाप,जिन्हें उचित परामर्शी प्रक्रिया/ जन सुनवाई के पश्चात तैयार किया गया हो और सीजेडएमपी में सूचीबद्ध, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षोपायों और सावधानियों के अध्यधीन।

(ii) कच्छ भूमि बफर क्षेत्र में केवल ऐसे क्रियाकलाप जैसे पाइप लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों का बिछाया जाना वाहन प्रणालियों/ तंत्रों तथाखंभों इत्यादि पर सड़क का सन्निर्माण, जिनकी जन उपयोगिताओं में जरूरत पड़ती है, कीअनुमति दी जाएगी।

(iii) सीआरजेड-। क्षेत्रों में सुधार के द्वारा सड़कों और खंभों पर बनायी जाने वाली सड़कोंकी अनुमति केवल आपवादिक मामलों में रक्षा, रणनीतिक प्रयोजनों और जन उपयोगिताओं के लिए, एक ब्योरे बार समुद्री/ पृथ्वी पर्यावरण प्रभाव आकलन के अध्यधीन दी जाएगी जिसकी सिफारिश तटीय क्षेत्र प्रबंधन समिति प्राधिकरण द्वारा की गई हो और जिसकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गयी हो और यदि ऐसी सड़कों का निर्माण कच्छ भूमि क्षेत्रों से होकर गुजरता है या उससे कच्छ भूमियों को,सन्निर्माण प्रक्रिया के दौरान, कम से कम तीन बार क्षति पहुंचने की संभावना हो, तो प्रभावित/ क्षतिग्रस्त/ कटाईग्रस्त कच्छ भूमि क्षेत्र पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा।

5.1.2 सीआरजेड-। ख - अंतर्ज्वारीय क्षेत्र

सीआरजेड-।ख क्षेत्रों में क्रियाकलाप का निम्न प्रकार से विनियमन/ अनुमति दी जाएगी।

(i) भूमि सुधार और बंध निर्माण इत्यादि की अनुमति केवल ऐसे क्रियाकलाप के लिए दी जाएगी जैसे:
   - (क) तटाग्र सुविधाएं, जैसे बंदरगाह, पोतआश्रय, घाट, जहाज घाट, प्लेटफार्म, जलावतरण मंच,पुल और समुद्री बंध इत्यादि।
   - (ख) रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए परियोजनाएं;
   - (ग) विद्यमान उच्च ज्वार रेखा तक, खंभों पर सड़क बशर्ते ऐसी सड़कों के, भूमि की तरफ वाले क्षेत्र के विकास की अनुमति के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि सुधार की गयी भूमि के उपयोग की अनुमति केवल जन उपयोगिताओं, जैसे सामूहिक, त्वरित या बहुविध परिवहन प्रणाली, सभी आवश्यक सहबद्ध जन उपयोगिताओं के निर्माण और स्थापना तथा ऐसी परिवहन प्रणाली के प्रचालन के लिए आधार भूत संरचना जिसमें विद्युत या इलैक्ट्रोनिक सिग्नल प्रणाली, अनुज्ञाप्राप्त डिजाइनों के परिवहन विश्राम स्थल; किसी औद्योगिक प्रचालन मरम्मत तथा अनुरक्षण को छोड़कर के लिए दी जाएगी।

(घ) कटाव के नियंत्रण के लिए उपाय।

(ङ) जलमार्गों, चैनलों और बंदरगाहों का अनुरक्षण और सफाई

(च) रेत बाधाओं, ज्वारीय विनियामकों की स्थापना वर्षाजल नालों का बनाया जाना या लवणता के प्रवेश के निवारण हेतु संरचना और ताजा जल का पुन: भराव के लिए उपाय।

(ii) जलाग्र से संबंधित क्रियाकलाप या बंदरगाहों तथा पोताश्रय, घाटों, कटाव नियंत्रण उपायों ब्रेकवाटर्स, पाइप लाइनों, लाइट हाउसों, नौचालन सुरक्षा सुविधाएं, तटीय पुलिस स्टेशनों और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप।

(iii) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत तथा सहबद्ध सुविधाएं।

(iv) खतरनाक पदार्थों को, पोतों से बंदरगाहों, टर्मिनलों और परिष्करणियों को स्थानान्तरित किया जाना और विपर्ययेन व्यवस्था।

(v) अनुबंध-।। में विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशानिदेशों और एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी दिशानिदेशों सहित सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन के अध्यधीन, परंतु यह कि ऐसी सुविधाएं उर्वरकों और अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, गंधकका तेजाब, शोरे का तेजाब इत्यादि जैसे उर्वरकों के लिए आवश्यक कच्चे सामग्रियों की प्राप्ति और भंडारण के लिए हो।

(vi) अधिसूचित बंदरगाहों में गैर खतरनाक कार्गो अर्थात खाद्य तेल उर्वरकों और खाद्यान्नों का भंडारण।

(vii) हैचरी और मछलियों को प्राकृतिक रूप से सुखाया जाना।

(viii) विद्यमान मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए, 25 प्रतिशत अतिरिक्त कुर्सी क्षेत्र (केवल अतिरिक्त उपस्करों और प्रदूषण उपायों के लिए) का उपयोग कर सकती हैं:

(क) ऐसे पुनर्निर्माण का एफएसआई, जोनगर और देश आयोजन के परिव्यापी विनियमों के अनुसार, अनुमत्य एफएसआई से अधिक न हो।

(ख) अतिरिक्त कुर्सी क्षेत्र का सन्निर्माण केवल भूमि क्षेत्र की तरफ ही हो।

(ग) संबद्ध एसपीसीबी/ पीसीसी का अनुमोदन।

(ix) अपशिष्ट और बहि:स्रावों के लिए शोधन सुविधाएं और शोधित बहि:स्रावों का परिवहन।

(x) वर्षा जल के लिए नाले।

(xi) परियोजनाएं, जिन्हें रणनीतिक, रक्षा से संबंधित परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(xii) खनन और खनिज (विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग-ख के अधीन अधिसूचित परमाणु खनिजों का हस्त चालित खनन, जो इस प्रकार या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार,परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्राधिकृत एजेंन्सियों द्वारा, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में एक या अन्य खनिजों के साथ किया जा रहा हो। परन्तु यह कि अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के भीतर हस्त चालित खनन कार्यऐसे व्यक्तियों को नियोजित करके अयस्क या खनिज के संग्रहण के लिए टोकरियों और हाथफावड़ों का प्रयोग किया गया हो और जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र ड्रिलिंग और विस्फोट या भारी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रयोग किये बिनाकराया गया हो।

(xiii) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण तथा उससे संबंधित सभी क्रियाकलाप और सुविधाएं।

(xiv) एमओईएफएण्डसीसी द्वारा अधिसूचित पर्यावरणीय मानकों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ एसपीसीबी/ पीसीसी के संबद्ध दिशानिदेशों के अनुरूप,ऐसे तटाग्र, जहां कच्चे माल के परिवहन के लिए सुविधाओं, ठंडा करने वाले जल की प्राप्ति और शोधित अपशिष्ट जल को बाहर निकालने या तापीय विद्युत सयंत्रों से ठंडा करने वाले जल को बाहर निकालने की सुविधाओं की जरूरत हों।

(xv) ट्रांसमिशन लाइनों सहित पाइप लाइन और संवहन प्रणालियां।

(xvi) चक्रवातों की गति और पूर्व सूचना की निगरानी के लिए मौसम रडार तथा सहबद्ध सुविधाएं।

(xvii) नमक एकत्रण और सहबद्ध सुविधाएं।

(xviii) निर्लवणीकरण और सहबद्ध सुविधाएं।

5.2 सीआरजेड

(i) यदि प्रयोज्य हो, सीआरजेड-।ख में अनुज्ञाप्राप्त क्रियाकलाप भी अनुमत्य होंगे।

(ii) आवासीय प्रयोजनों, विद्यालयों अस्पतालों, संस्थाओं, कार्यालयों सार्वजनिक स्थलों इत्यादि के लिए भवनों के सन्निर्माण की अनुमति, विद्यमान सड़क के भूमि की तरफ वाले क्षेत्र पर या विद्यमान प्राधिकृत निधारित संरचनाओं के भूमि की तरफ वाले क्षेत्र पर दी जाएगी; परन्तु यह कि ऐसी किसी नई सड़क, जो किसी विद्यमान सड़क के समुद्र की ओर वाले क्षेत्र पर बनाई गई हो, के भूमि की तरफ वाले क्षेत्र पर भवनों के सन्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) ऊपर ।। में अनुज्ञाप्राप्त भवन, समय-समय पर लागू होने वाले स्थानीय नगर और देश आयोजन विनियमों और इस अधिसूचना की तारीख को लागू फर्श स्थान सूचकांक या फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए लागू मापदंडों के अध्यधीन होंगे। यह संबंधित नगर आयोजन प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि ठोस अपशिष्टों का निपटान संबंधित एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार हो और कोई अशोधित मलजल तटपरया तटीय जल में न छोड़ा जाए।

(iv) प्राधिकृत भवनों का पुनर्निर्माण, वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन किए बिना, इस अधिसूचना की तिथि को मौजूदा फ्लोर स्पेस इंडेक्स अथवा तल क्षेत्र अनुपात के लिए मानदडों और समय-समय पर लागू स्थानीय कस्बा और देश आयोजना संबंधित विनियमों की शर्त पर अनुमत किया जाएगा। यह संबंधित कस्बा आयोजना प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि संबंधित एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का हथालन किया जाए और तट क्षेत्र अथवा तटीय जल क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के अशोधित मलजल का निस्सारण न किया जाए।

(v) समुद्र तट पर रिसोर्ट्स/होटलों का निर्माण करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में खाली पड़े हुए भू-खंडों का विकास, अनुबंध-III में दिए गए शर्तों/दिशानिर्देशों के अध्यधीन है।

(vi) समुद्र तटों पर अस्थायी तौर पर पर्यटन सुविधाएं अनुमत की जाएंगी। ऐसी अस्थायी सुविधाओं में केवल शैक्स, शौचालय/स्नानगृह, कपड़े बदलने के लिए कक्ष, शावॅर पैनेल्स, इंटरलौकिंग पेवर ब्लॉक आदि का उपयोग करते हुए, निर्मित किए गए आवागमन मार्ग, पेयजल सुविधाएं, बैठने की व्यवस्थाएं आदि शामिल होंगे। तथापि, इस अधिसूचना के अनुसार ऐसी सुविधाएं, केवल उचित परामर्शी प्रक्रिया/जन सुनवाई आदि से तैयार की गई अनुमोदित सीजैडएमपी में दर्शाई जा रही पर्यटन योजना के अध्यधीन और आगे सीजैडएमपी में सूचीबद्ध पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अध्यधीन अनुमत की जाएंगी।

5.3 सीआरजेड-III

(I) सीआरजैड-Iख में अनुमत किए गए कार्यकलापों को यथाप्रयोज्य सीआरजैड-III में भी अनुमत किया जायेगा।

(II) **एनडीजेड** में कार्यकलापों का विनियमन:

एनडीजैड में निम्नलिखित को अनुमत/विनियमित किया जायेगा:

(क) सीआरजेड-III में एनडीजेड के भीतर इस अधिसूचना के तहत अनुमेय कार्यकलापों के लिए आवश्यक आपदा प्रबंधन प्रावधानों और उचित स्वच्छता की व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए मछुआरा समुदाय सहित पंरपंरागत तटीय, समुदायों की आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनर्निर्माण और कार्यकलापों के लिए अनिवार्य सुविधाओं सहित पूर्व में मौजूदा प्राधिकृत संरचनाओं, जिनमें फ्लोर स्पेस इण्डेक्स, मौजूदा प्लिंथ एरिया एवं मौजूदा घनत्व पहले से अधिक न हों की मरम्मत या पुर्नर्निर्माण को छोड़कर, किसी भी निर्माण कार्य को अनुमत नही किया जाएगा।

(ख) कृषि, उद्यान-कृषि, उद्यानों, चरागाह, पार्क, खेलने के लिए मैदान और वानिकी।

(ग) सीजेडएमए द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर स्थानीय निवासियों की आवश्यकता हेतु औषद्यालयों, विद्यालयों, वर्षा जल से बचाव हेतु सार्वजनिक आश्रय स्थल, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास, शवदाहगृह, कब्रगाह और विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण।

(घ) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा समिति के पूर्व अनुमोदन से घरेलू वाहित मल, उपचार और निस्तारण के लिए बनाई जाने वाली इकाइयों या संबंधित निकायों का निर्माण।

(ङ) स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे मछलियों को सुखाने के लिए प्रांगण, नीलामी के लिए एक हॉल, जाल की मरम्मत करने के लिए प्रांगण, पारपरिक नौका निर्माण संबंधी प्रागंण, बर्फ-संयंत्र, बर्फ तोड़ने की इकाई, मछलियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं इत्यादि।

(च) जहां भी सीआरजेड-III क्षेत्रों के एनडीजेड से राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग गुजर रहे हैं, वहां समुद्र की तरफ की ओर सड़क पर अस्थायी पर्यटन सुविधाएं जैसे शौचालय, चेन्ज रूम, पेयजल सुविधा और अस्थायी शैक्स निर्मित की जा सकती हैं।

(छ) एनडीजेड में ऐसी सड़कों की भूमि की ओर रिर्सोट/होटल और संबद्ध पर्यटन सुविधाएं अनुमत की जाऐंगी। तथापि, इस अधिसूचना के अनुसार और यथा प्रयोज्य अनुबंध-III की शर्तों/दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित सीजेडएमपी में पर्यटन योजना को शामिल किए जाने की शर्त पर ही ऐसी सुविधाओं को अनुमत किया जाऐगा।

(ज) सीआरजैड-III क्षेत्रों के एनडीजैड में अस्थायी पर्यटन सुविधाओं को अनुमत किया जाएगा। ऐसी अस्थायी सुविधाओं में केवल शैक्स, शौचालय/प्रसाधन, कपड़े बदलने के लिए कक्ष, शॉवर पैनेल्स, इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक आदि का उपयोग करते हुए निर्मित वॉक वेज, पेयजल सुविधाएं, बैठने की व्यवस्थाएं आदि शामिल होगी। तथापि, ऐसी सुविधाओं को इस अधिसूचना के अनुसार अनुमोदित सीजेडएमपी में दर्शाई जा रही पर्यटन योजना की शर्त के अध्यधीन ही अनुमत किया जायेगा।

(iii) एनडीजेड से बाहर सीआरजैड-III क्षेत्रों के लिए कार्यकलापों को निम्नवत अनुमत/विनियमित किया जाएगा:

(क) अनुबंध-III में दी गई शर्तों/दिशानिर्देशों की शर्त के अध्यधीन समुद्र तट पर रिर्सोट/होटलों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में खाली पड़े हुए प्रखंडों का विकास,

(ख) आवासीय इकाइयों का निर्माण अथवा पुननिर्माण जब तक कि वह पारंपरिक अधिकारों और रूढ़िगत उपयोग जैसे कि मौजूदा मछुआरा समुदाय के गांवों आदि की परिधि के अंदर है। ऐसे निर्माण अथवा पुन निर्माण हेतु निर्माण अनुमति दो तलो (भूतल+एक तल) सहित 9 मीटर तक अधिकतम ऊँचाई के निर्माण की समग्र ऊँचाई सहित स्थानीय नगर और शहर आयोजना नियमों की शर्त के अध्यधीन होगा।

(ग) मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों को मौजूदा मकानों के प्लिंथ क्षेत्र/डिजाइन अथवा अग्रभाग में परिवर्तन किए बिना 'होम स्टे' के माध्यम से पर्यटन को सुकर बनाने के लिए अनुमत किया जा सकता है।

(घ) वर्षा जल से बचने के लिए सार्वजनिक आश्रय स्थलों, सामुदायिक शौचालयों, जल आपूर्ति व्यवस्था, वाहितमल निस्तारण, सड़कों और पुलों का निर्माण।

(ङ) चूना पत्थर का खनन:

खनन योजनाओं के तहत विशिष्ट अभिज्ञात क्षेत्रों में चूनापत्थर खनिजों के चयनित खनन को अनुमत किया जा सकता है, जो खनन क्षेत्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, जैसा कि सीएसआईआर, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आदि की

सिफारिशों के आधार पर एचटीएल की ऊँचाई से पर्याप्त ऊँचाई पर हैं, बशर्ते कि एचटीएल के ऊपर 1 मीटर की ऊँचाई तक में खनिजों का उत्खनन न किया गया है। और पर्याप्त अवरोधक सृजित किया गया हो ताकि लवणीय जल के प्रवेश के विरूद्ध सुरक्षोपाय किए जा सके और वह तटीय जलों के प्रदूषण और तटीय अपरदन के निवारण के संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपायों की शर्त के अध्यधीन हो।

(iv) भू-गर्भीय जल का निष्कर्षण और उससे संबंधित निर्माण को उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय समुदाय निवास करते हैं और जो केवल उनके उपयोग के लिए है, को छोड़कर एचटीएल से 200 मीटर तक के क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाऐगा। एचटीएल के 200 मीटर-500 मीटर तक के क्षेत्रों में, भू-गर्भीय जल का निष्कर्षण को पेयजल, बागवानी, कृषि और मत्स्यन आदि के लिए साधारण कुँओं से शारीरिक श्रम के माध्यम से अनुमत किया जा सकता है, जहां जल का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध न हो। समुद्र जल के प्रवेश द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा ऐसे निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

5.4 सीआरजेड-IV

(i) स्थानीय समुदायों द्वारा पारम्परिक मत्स्य पालन और संबद्ध कार्यकलाप किए गए हैं।

(ii) भू-सुधार और समुद्री जल को बांधने के लिए केवल निम्नलिखित कार्यकलापों को अनुमत किया जाना है, जैसे;

(क) अग्रतट सुविधाओं जैसे पत्तन, बंदरगाह, जेट्टी, घाट, तटबंध या स्लिवपवे, पुल और सीलिंक आदि।

(ख) रक्षा, रणनीतिक ओर सुरक्षा प्रयोजन के लिए परियोजनाएं।

(ग) क्षरण को रोकने के लिए उपाय।

(घ) जलमार्गों, चैनलों और बंदरगाहों की देखरेख और उनकी साफ-सफाई।

(ङ) बलुईटीलों को बनने से रोकने, ज्वार नियंत्रकों के प्रतिस्थापन, तेज जल प्रवाह नालियों को स्थापित करने तथा स्वच्छ जलाश्यों में लवणीय जल के सम्मिश्रण को रोकने और स्वच्छ जल के रिचार्ज हेतु संरचना स्थापित करने संबंधी गतिविधियों पर आधारित उपाय।

(iii) पत्तनों और बंदरगाहों, जेट्टी, घाटों, तटबंधों, क्षरण नियंत्रण उपायों, तंरगरोधो (ब्रेकवाटर्स), पाईपलाइनों, नेवीगेशनल सुरक्षा सुविधाओं जैसे वाटरफ्रंट अथवा प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक तटाग्र सुविधाओं से संबंधित कार्यकलाप।

(iv) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत और संबद्ध सुविधाओं द्वारा विद्युत उत्पादन।

(v) जहाजो से पत्तनों तक खतरनाक पदार्थों का अंतरण।

(vi) अधिसूचित पत्तनों में खाद्य तेल, उर्वरकों और खाद्यान्न जैसे गैर-परिसंकटमय कार्गो का भंडारण।

(vii) जलमार्गो में शोधित बहिस्रावों के निस्तारण के लिए सुविधाएं।

(viii) रणनीतिक और रक्षा संबंधी परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत परियोजनाएं।

(ix) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं।

(x) तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और निष्कर्षण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां और सुविधाएं आदि।

(xi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरणीय मानकों और सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी के संगत निदेशों के अनुरूप कच्चे माल के परिवहन हेतु तटाग्र अपेक्षित सुविधाएं शीतलन जल का उपयोग करने के लिए सुविधाएं अथवा जल के निस्कारण हेतु मुहाना/थर्मल पावर संयंत्र से निकलने वाले शीतलन जल अथवा शोधित अपशिष्ट जल के निस्तारण हेतु मुहाना।

(xii) पाईपलाइन, ट्रांसमिशन लाईन सहित संचार प्रणाली की व्यवस्था।

(xiii) चक्रवात के पूर्वानुमान, संचलन और संबद्ध सुविधाओं की मानीटरी के लिए मौसम रडार।

(xiv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा सीआरजेड-IV(क) क्षेत्रों में पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों सहित निम्नलिखित की शर्तों के अध्यधीन अपवाद मामलों में स्मारक/ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण और संबद्ध सुविधाएं अर्थात्:-

(क) संबंधित राज्य सरकार पर्यावरणीय पैरामीटरों सहित विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में विचारित वैकल्पिक अवस्थानों और वेटेज मैट्रिक्स के ब्यौरे सहित सीआरजेड-IV 'क' क्षेत्रों में परियोजना की अवस्थापना के लिए राज्य सीजेडएमए को औचित्यकरण प्रस्तुत करेगा जो परियोजना की जांच करेगा और राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी करने के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को सिफारिश करेगा।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा टीओआर प्रदान करने पर संबंधित राज्य सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लिए जन सुनवाई आयोजित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आपात स्थिति के दौरान स्थल पर और स्थल से दूर आपात योजना और बचाव कार्य योजना सहित प्रारूप पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (ईआईए) सहित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमजी) प्रारूप जोखिम आकलन रिपोर्ट सहित आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) प्रस्तुत करेगा।

(ग) संबंधित राज्य सरकार, उप-मद (ख) में संदर्भित जन सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाए गए संगत मुद्दों का निराकरण करने के पश्चात् अंतिम ईआईए, ईएमपी, जोखिम आकलन और डीएमपी, को राज्य सीजेडएमपी को उनकी जांच करने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सिफारिश करने के लिए प्रस्तुत करेगा;

(घ) केन्द्र सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप-मद (ख) में संदर्भित जन सुनवाई को अनावश्यक भी बना सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि इस परियोजना में जनता का पुनर्वास और पुनर्स्थापना किया जाना शामिल नहीं है अथवा परियोजना स्थल, मानव बस्तियों से दूर अवस्थित है।

6. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं (सीजैडएमपी)

(i) इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीआरजैड अधिसूचना, 2011 के तहत बनाई गई अपनी संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजैडएमपी) को संशोधित/अद्यतन करेंगे और अनुमोदनार्थ यथाशीघ्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित करेंगे। उन सभी परियोजना कार्यकलापों, जिन पर इस अधिसूचना के उपबंध लागू होते हैं, का मूल्यांकन अद्यतन तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के अनुसार किया जाना अपेक्षित होगा। जब तक सीजैडएमपी को इस प्रकार संशोधित/अद्यतन नहीं किया जाता है, तब तक इस अधिसूचना के उपबंध प्रभावी नहीं होंगे और ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन और सीआरजैड स्वीकृति के लिए सीआरजैड अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं का अनुसरण किया जाता रहेगा;

(ii) तटीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी वैज्ञानिक संस्था (ओं) या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (इसके उपरांत एनसीएमसीएम के रूप में उल्लिखित) सहित अन्य एजेंसियों के सहयोग से और संबंधित पणधारियों के साथ परामर्श करके सीजैडएमपी तैयार/अद्यतन की जाएगी;

(iii) तटीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अधिसूचना के अनुबंध-IV में दिए गए दिशादनिर्देशों, जिनमें आम जनता से परामर्श करना शामिल है, के अनुसार संबधित प्रदेशों के अंदर सीआरजैड क्षेत्रों को अभिज्ञात और वर्गीकृत करते हुए 1:25,000 स्केल मैप का प्रयोग करके प्रारूप सीजैडएमपी तैयार करेंगे;

इस अधिसूचना में सूचीबद्ध समस्त विकास संबंधी कार्यकलापों को राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित सीजैडएमए द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमोदित सीजैडएमपी, जो विद्यमान हो, के ढांचे के अंदर विनियमित किया जाएगा;

(iv) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रारूप सीजैडएमपी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिसम, 1986 में निर्धारित प्रक्रिया (ओं) के अनुसार, उपयुक्त परामर्शों तथ सिफारिशों के साथ मूल्यांकन के लिए संबंधित सीजैडएमए के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(v) तदुपरांत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं पर विचार करेगा और अनुमोदन प्रदान करेगा।

(vi) सामान्यतया सीजैडएमपी को पांच वर्ष की अवधि से पहले संशोधित नहीं किया जाएगा। पांच वर्ष के बाद संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र संशोधन लाने पर विचार कर सकती है।

7. अनुमत्य/विनियमित कार्यकलापों के लिए सीआरजैड अनापत्ति-प्रत्यायोजन

(i) इस अधिसूचना के उपबंधों से प्रभावित होने वाली सभी अनुमत/विनियमित परियोजनाओं को आरंभ करने के पूर्व सीआरजैड अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ii) सीआरजैड-I और सीआरजैड-IV क्षेत्रों में संचालित सभी विकासात्मक कार्यकलापों/परियोजनाओं, जो इस अधिसूचना के अनुसार विनियमित/अनुमत्य हैं, के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित सीजैडएमए की सिफारिश के आधार पर सीआरजैड अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(iii) इस अधिसूचना के अनुसार अन्य सभी अनुमत्य/विनियमित कार्यकलापों, जो पूर्ण रूप से सीआरजैड-II/सीआरजैड-III क्षेत्रों में आते हैं, के लिए संबंधित सीजैडएम द्वारा सीआरजैड अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में विचार किया जाएगा। तथापि, सीआरजैड-II और III में संचालित ऐसी परियोजनाओं, जो सीआरजैड-I और/या IV क्षेत्रों में भी आती हैं, को सीआरजैड अनापत्ति देने के संबंध में केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित सीजैडएमए की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(iv) जिन परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों और ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों की आवश्यकता है, उनके संबंध में संबंधित अनुमोदक प्राधिकरण द्वारा संबंधित सीजैडएमए की संस्तुतियों के आधार पर प्रत्यायोजनों, अर्थात् क्रमश: श्रेणी 'ख' और श्रेणी 'क' के लिए राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (इसके उपरांत एसईआईएए के रूप में उल्लिखित) या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवतन मंत्रालय, के अनुसार ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत समेकित पर्यावरणीय और सीआरजैड अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(v) भवन निर्माण कार्य परियोजनाओं, जिनमें ईआईए अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से कम निर्मित क्षेत्रफल हो, के मामले में, इन परियोजनाओं को संबंधित स्थानीय राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र योजना प्राधिकरणों द्वारा इस अधिसूचना के अनुसार संबंधित सीजैडएमए की संस्तुतियां प्राप्त करने के उपरांत मंजूरी प्रदान की जाएगी।

(vi) केवल कुल 300 व.मी. के निर्मित क्षेत्रफल तक की स्वयं के लिए निर्मित आवासीय इकाइयों के लिए संबंधित सीजैडएमए की संस्तुतियों की अपेक्षा के बिना संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे प्राधिकरण मंजूरी प्रदान करने से पूर्व सीआरजैड अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में उस प्रस्ताव की जांच करेंगे।

8. अनुमत्य/विनियमित कार्यकलापों के लिए सीआरजेड अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया

(i) परियोजना के प्रस्तावक सीआरजेड अधिसूचना के तहत पूर्व अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य अथवा संघराज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे:

(क) अधिसूचना के अनुबंध-V के अनुसार परियोजना सार का ब्यौरा।

(ख) भवन निर्माण परियोजनाओं/आवासीय योजनाओं को छोड़कर सामुद्रिक और प्रादेशिक घटक, जैसा लागू हो, सहित त्वरित ईआईए रिपोर्ट।

(ग) इस अधिसूचना के तहत तैयार की गई सीजेडएमपी के अनुसार, यदि परियोजनाएं कम और मध्यम अपरदन वाले क्षेत्रों में स्थित हों तो परियोजनाओं के लिए समेकित अध्ययनों के साथ विस्तृत ईआईए रिपोर्ट।

(घ) जोखिम आकलन रिपोर्ट और आपदा प्रबंधन योजना।

(ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 14 मार्च, 2014 के कार्यालय आदेश संख्या जे-17011/8/92-आईए- III के तहत अभिज्ञात एजेंसियों में से किसी एजेंसी द्वारा 1:4000 स्केल में तैयार किया गया सीआरजैड मानचित्र जिसमें एनसीएससीएम द्वारा किए गए अनुसार ज्वार रेखा या एलटीएल के सीमांकन का उपयोग किया गया हो।

(च) परियोजना की सीमाओं और परियोजना के स्थान की सीआरजैड श्रेणी को उचित तरीके से दर्शाते हुए उपर्युक्त मानचित्र पर अध्यारोपित परियोजना की रूपरेखा।

(छ) सीआरजेड मानचित्र जिसमें सामान्यत: परियोजना के आस-पास के 7 किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया हो और अन्य अधिसूचित पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीआरजेड-I, II, III और IV क्षेत्रों को भी दर्शाया गया हो।

(ज) औद्योगिक बहिस्राव को बहाने वाली परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समितियों से '' स्थापित करने की सहमति'' या एनओसी।

(ii) संबंधित सीजेडएमए अनुमोदित सीजेडएमपी के अनुसार तथा सीआरजैड अधिसूचना के अनुपालन में उपर्युक्त (i) में यथोल्लिखित दस्तावेजों की जांच करेंगा और पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर निम्नलिखित को संस्तुति करेगा:-

(क) ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए गए प्रत्यायोजनों के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या एसईआईएए को क्रमश: श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं के लिए, जो भी स्थिति हो, तथा उन परियोजनाओं के लिए जिनपर ईआईए अधिसूचना लागू होती है। सीआरजैड-I या सीआरजेड-IV क्षेत्रों में स्थित ऐसी श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं के लिए, सीआरजेड अनापत्ति हेतु अंतिम संस्तुति केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित एसईआईएए को दी जाएगी ताकि वह उस प्रस्ताव के संबंध में समेकित पर्यावरणीय अनापत्ति और सीआरजेड अनापत्ति प्रदान कर सके।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उन परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 2006 में शामिल नही किया गया है किंतु उन पर सीआरजेड अधिसूचना लागू होती है और जो सीआरजेड-I या सीआरजेड-IV क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ग) एसईआईएए को उन परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 2006 में शामिल नही किया गया है किंतु उन पर सीआरजैड अधिसूचना लागू होती है और जो सीआरजेड-II या सीआरजेड-III क्षेत्रों में स्थित हैं।

(घ) ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों को लागू करने हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा से कम निर्मित क्षेत्रफल वाली निर्माण कार्य परियोजनाओं के मामले में संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र योजना प्राधिकरणों को।

(iii) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एसईआईएए या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना प्राधिकरण संबंधित सीजैडएमए की सिफारिशों के आधार पर 60 दिनों की अवधि के अंदर ऐसी परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रदान करने पर विचार करेगा।

(iv) यदि सीजेडएमए उनके पुनर्गठन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से कार्यशील न हों, तो यह राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यावरण विभाग, जो संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सीजेडएमपी के अभिरक्षक हैं, का दायित्व होगा कि वह उक्त अधिसूचना के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए टिप्पणी दे और संस्तुति करे।

(v) इस अधिसूचना के तहत परियोजनाओं को दी गई अनापत्ति 7 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि निर्माण संबंधी कार्यकलाप ऐसी अनापत्ति जारी करने की तिथि से 7 वर्षों के अंदर पूरे हो जाएं और कार्य संचालन आरंभ हो जाए।

वैधता को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक द्वारा वैधता की अवधि के अंदर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति की वैधता के विस्तार हेतु की गई संस्तुति के साथ संबंधित प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(vi) अनापत्ति प्रदान करने के उपरांत निगरानी:-

(क) परियोजना के प्रस्तावक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कलैंडर वर्ष की 1 जून और 31 दिसम्बर की तिथि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण (णों) को हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों में पर्यावरणीय अनापत्ति की निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों के संबंध में अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें और परियोजना के प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्टों को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी प्रतियां संबंधित सीजेडएमए को आवेदन करने पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख) अनुपालन रिपोर्ट को संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(vii) सीजेडएमए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता कायम करने हेतु, यह सीजैडएमए का दायित्व होगा कि वह इस परियोजना के लिए समर्पित बेवसाइट सृजित करें और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत्त, लिए गए निर्णयों, अनापत्ति पत्रों, उल्लंघनों, उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई तथा माननीय न्यायालय के आदेशों सहित अदालती मामलों और संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की अनुमोदित सीजैडएमपी को अपलोड करें।

9. सीआरजेड अधिसूचना का प्रवर्तन:

(i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इस अधिसूचना के कार्यान्वयन और प्रवर्तन तथा उसके अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन के प्रयोजन लिए शक्तियां मूल रूप से अथवा प्रत्यायोजित रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एनसीजेडएमए और एससीजेडएमए को प्रदान की गई हैं;

(ii) एनसीजेडएमए और राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के सीजेडएमए की संरचना, कार्यकाल और अधिदेश को पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 की रिट याचिका 664 में दिए गए आदेशों के अनुसार पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

(iii) राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सीजेडएमए इस अधिसूचना के प्रवर्तन और निगरानी हेतु तथा इस कार्य में सहायता करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी, राज्य सरकार और केन्द शासित प्रदेश की सरकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगी जिसमें मछुआरों सहित स्थानीय परंपरागत तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर इस अधिसूचना को आगे लागू करने पर विचार कर सकती है।

(iv) मुछआरा समुदायों, जनजातियों सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवास इकाइयों जिनके संबंध में सीआरजेड अधिसूचना 2011के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति थी, लेकिन उनके संबंध में उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, पर विचार संबंधित केन्द्र शासित प्रदेश के सीजेडएमए द्वारा किया जाएगा और आवास इकाइयों को निम्नलिखित शर्त के अधीन विनियमित किया जाएगा, नामत:

(क) उनका उपयोग किसी तरह की वाणिज्यिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा;
(ख) उन्हें किसी गैर-परंपरागत तटीय समुदाय को बेचा अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा;

10. ऐसे क्षेत्र जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

10.1 अति संवेदनशील तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) :

(i) इस अधिसूचना क पैरा 33 में सूचीबद्ध सभी सीवीसीए के लिए, एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (आईएमपी) तैयार की जाएंगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ कच्छ वनस्पति के संरक्षण एवं प्रबंधन, औषधालयों, स्कूलों, वर्षा से बचने के लिए सार्वजनिक शरण स्थल, सामुदायिक, शौचालय, पुल, सड़क जेट्टी, जलापूर्ति जल-निकास प्रणाली, सीवरेज जैसी स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथासमुद्रीजल स्तर में वृद्धि होने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखेंगी। आईएमपी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(ii) मछुआरों सहित तटीय समुदायों के विचारों के दृष्टिगत सीजेडएमए द्वारा जब तक आईएमपी अनुमोदित और अधिसूचित किया जाता है, तब तक पारंपरिक निवासियों के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, वर्षा/चक्रवात से बचाव के आश्रय स्थल, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़कें, जेट्टी, जलापूर्ति, जल निकास प्रणाली, सीवरेज की मामला दर मामला आधार पर मंजूरी दी जा सकेगी।

10.2 अंतर्देशीय बैकवाटर द्वीपों और मुख्य भूमि तट के द्वीपों के लिए सीआरजेड :

(i) तटीय बैकवाटर के सभी अंतर्देशीय द्वीपों और मुख्य भूमि तट के द्वीप भी इस सीआरजेड अधिसूचना के अंतर्गतशामिल किए जाएंगे।

(ii) ऐसे तटीय क्षेत्रों में स्थान-सीमाओं सहितबैकवाटर और बैकवाटर द्वीप समूहों की अद्वितीय तटीय प्रजातियों के दृष्टिगत, भूमि की ओर एचटीएल से 20 मीटर का सीआरजेड, ऐसे द्वीप समूहों के लिए समान रूप से लागू होगा और निम्नलिखित कार्यकलाप विनियमित किए जाएंगे:-

(क) इन द्वीपों के एचटीएल से 20 मीटर के अंतर्गत स्थानीय समुदायों के मौजूदा आवासीय स्थलों की मरम्मत या इनका पुनर्निर्माण किया जाए। तथापि, किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) फोरशोर सुविधाएं जैसे मछली पकड़ने के लिए जेट्टी, मछली सुखाने के लिए स्थान, जाल की मरम्मत के लिए स्थान, पारंपरिक तरीके से किया जाने वाला मत्स्य प्रसंस्करण, नौका निर्माण का स्थान, बर्फ संयंत्र, नौका की मरम्मत इत्यादि कार्य, उचित पर्यावरणीय सुरक्षापायों के अध्यधीन सीआरजेड सीमाओं में किया जाए।

(iii) द्वीप संरक्षण जोन अधिसूचना के अनुसार जैसा कि लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार में छोटे द्वीपों पर लागू होता है, एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं (आईआईएमपी), ऐसे सभी द्वीपों के लिए संबंधित राज्यों/केंन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की जाएगी और शीघ्रातिशीघ्रअनुमोदन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। आईआईएमपी तैयार होने तक इस अधिसूचना के उपबंध लागू नहीं होंगे और सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार, सीजेडएमपी का अनुपालन जारी रहेगा।

10.3 ग्रेटर मुंबई की नगरपालिका सीमाओं के भीतर आने वाला सीआरजेड क्षेत्र :

(i) ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के 'ग्रीनलंग'की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए सभी खुले स्थानों, पार्कों, उद्यानों, सीआरजेड-IIके अंदर की विकास योजनाओं में निर्धारित क्रीड़ास्थलों को नो डेवलपमेंट जोन, के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नागरिक सुविधाओं, मनोरंजन ओर खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए स्टेडियम, जिम्नाजियम आदि निर्माण के लिए ही 15%फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति होगी और ऐसे खुले स्थानों के आवासीय या वाणिज्यिक उपयोगकी अनुमति नहीं होगी।

(ii) नगरपालिका क्षेत्र में मलजल शोधन के लिए, सीआरजे-I क्षेत्र में मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण, विशेष परिस्थितियों में केवल नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा जहां सीजेडएमए की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई वैकल्पिक साइट उपलब्ध नहीं है और यदि किसी कच्छ वनस्पति क्षेत्र में ऐसे संयंत्र का निर्माण करना अपरिहार्य है तो निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रभावित/नष्ट हुए /काटे गए कच्छ वनस्पति क्षेत्र का न्यूनतम तीन गुना, कच्छ वनस्पति का प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा।

****

अनुबंध-I

ईएसए के लिए संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन रूपरेखा

तटीय और समुद्री पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र (ईएसए) औरभू-रूपात्मक विशेषताएंतट के कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कच्छ वनस्पति, समुद्र तट, प्रवाल भित्ति इत्यादि, तटीय कटाव, तटरेखा परिवर्तन, खारे पानी के प्रवेश को नियंत्रित करने में सहयोग देते हैं और तटीय खतरों जैसे तूफानी लहरों, चक्रवातों और सुनामियों के विरूद्ध प्राकृतिक रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ईएसए, तटीय आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करके तट की जैविक समग्रता बनाए रखता है। इसके अतिरिक्ति, कई मूल्यवान पुरातात्विक और धरोहर वाले स्थान भी तट के साथ-साथ स्थित हैं। अत: उपर्युक्त क्षेत्रों/विशेषताओं/स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा आवश्यक हो जाती है।

1. सामान्य उपाय

(i) उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके एनसीएससीएम द्वारा सभी ईएसए की पहचान की जाएगी और सीमा-रेखा निर्धारित की जाएगी।

(ii) ईएसए के संरक्षण और सुरक्षा का उल्लेख करते हुए, अधिसूचना में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सीजेडएमपी तैयार करेंगी।

(iii) इस अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय कार्यकलापों को सीजेडएमपी में शामिल किया जाएगा।

प्रत्येक ईएसए के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अपनाई गई विशिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1.1 कच्छ वनस्पति:

(i) कच्छ वनस्पति को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन के रूप में घोषित किया गया है।

इस अधिसूचना में निहित किसी अन्य बात के होने पर भी, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कच्छ वनस्पति को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि के रूप में घोषित किया गया है जिन पर केवल वन(संरक्षण) अधिनियम,1980 के उपबंध ही लागू होंगे।

(ii) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत घोषित नहीं की गई कच्छ वनस्पति।

(क) सरकारी भूमि में कच्छ वनस्पति कोसंबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत योजना के आधार पर संरक्षित किया जाएगा। यदि कच्छ वनस्पति क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो कच्छ वनस्पति क्षेत्र की परिधि के साथ-साथ 50 मीटर का बफर क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। 50 मीटर के इस बफर क्षेत्र का उपयोग, उद्यान विकसित करने, कच्छ वनस्पति जैव-विविधता से संबंधित अनुसंधान सुविधाओं संरक्षण के लिए सुविधाओं आदि जैसे कार्यों के लिए जन-सुविधाओं हेतु जा सकता है।

(ख) निजी भूमि में कच्छ वनस्पति के लिए बफर क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

1.2 प्रवाल और प्रवाल भित्ति तथा संबंधित जैव-विविधता:

(i) प्रवाल और प्रवाल भित्ति तथा इसके आस-पास के क्षेत्र को नष्ट करना एक निषिद्ध कार्यकलाप है।

(ii) अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आवश्यक उन कम मात्राओं को छोड़कर, सभी प्रवालऔरप्रवाल भित्ति को सुरक्षित किया जाएगा।

(iii) प्रवाल और प्रवाल भित्तिके प्रतिरोपण कार्यकलाप, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जहां भी सुधार के लिए आवश्यक हो, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

(iv) समाप्त और/या नष्ट हुएप्रवाल क्षेत्रों का कायाकल्प और पुनर्वास किया जाएगा। प्रवाल और प्रवाल भित्ति का संरक्षण और सुरक्षा निम्नानुसार की जाएगी:

(क) चिन्हित और चित्रित की गई सक्रिय और सजीव प्रवाल और प्रवाल भित्तिको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ईएसए के रूप में घोषित और अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कोई कार्यकलाप जो प्रवाल, प्रवाल भित्तिऔर संबंधित जैव-विविधता जैसे कि खनन, उत्सर्जन और मल-जल बहिस्राव, निकर्षण, बैलेस्ट पानी निर्वहन, जहाज की धुलाई, परंपरागत गैर-हानिकारक मत्स्य पालन से इतर मछली पालन, निर्माण कार्यकलापों जैसे अन्य कार्यों के लिए हानिकारक है, को प्रवाल क्षेत्रों में और इसके आस-पास नहीं किया जाएगा।

1.3 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), एफ (सी) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों के तहत घोषित जैव-मंडल रिज़र्वों सहित **राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री उद्यानों, अभयारण्यों,**रिज़र्व वनों, वन्यजीव पर्यावास तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों को निम्नानुसार संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा:

(i) उपर्युक्त सूचीबद्ध क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा, संबंधित अधिनियमों/अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ii) बढ़ते हुए तूफानों, ज्वारभाटा और बाढ़ से जान-माल की हानि रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में वन क्षेत्रों की बढ़ोतरी के प्रयास किये जाएंगे।

(iii) संबंधित राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश, स्थान के लिए उपयुक्त रोपण सामग्री के साथ शैल्टर बेल्ट पौधरोपण या जैव-सुरक्षा शुरू करने के लिए ऐसे उपायों हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करेंगी।

1.4 लवणीय कच्छ भूमि :

लवणीय कच्छ भूमि का संरक्षण और सुरक्षा निम्नानुसार की जाएगी:

(i) लवणीय कच्छ क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा तथा लवणीय कच्छ भूमि में स्थानिक जैव-विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

(ii) केवल वही कार्यकलाप की अनुमति होगीजो केबल केउपरिगामी संदेश/पारेषण और पारेषण लाइन केबल को भूमिगत बिछाने और इसी तरह के कार्यों के लिए आवश्यक हैं।

(iii) लवणीय कच्छ भूमि में परंपरागत रूप से मछली पकड़ने की अनुमति होगी।

(iv) दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट कड़े मानदंडों के पालन के अध्यधीन लवणीय कच्छ क्षेत्रों के इर्द-गिर्द अस्थाई पर्यटन सुविधाएं देने पर विचार किया जा सकता है।

(v) कुछ लवणीय कच्छभूमि, जिनकी कम जैव-विविधता है, जो एनसीएससीएम द्वारा चिन्हित और सीजेडएमपी में सीमांकित हैं, को लवण कच्छ कार्यकलापों के लिए विचार किया जा सकता है।

1.5 कछुओं के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण निम्नानुसार की जाएगी:

(i) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिज्ञात कछुओं के प्रजनन स्थल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार संरक्षित किया जाएगा।

(ii) कछुओं के प्रजनन स्थल के आस-पास कोई क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं होंगे जिनमें इन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपेक्षित क्रियाकलापों के सिवाए रोशनी ओर ध्वनि प्रदूषण भी शामिल हैं।

(iii) कछुओं के प्रजनन स्थानों के संरक्षण के लिए सख्त प्रबंधन योजनाएं शुरू की जाएंगी और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

1.6 हार्स शू केकड़े के पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) अभिज्ञात पर्यावास का संरक्षण और सुरक्षा की जाएगी।

(ii) इन पर्यावासों के आस-पास कोई क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे जिससे हार्स शू केकड़े की पारि-प्रणाली प्रभावित होती हो।

1.7 समुद्री घास की सुरक्षा और संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) अभिज्ञात घास की सुरक्षा और संरक्षण किया जाएगा।

(ii) ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे जिनका समुद्री घास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(iii) राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासंभव तटीय जल के किनारों की समुद्री घास के फैलाव के प्रयास किए जाएंगे।

1.8 पक्षियों के घोंसला बनाने वाली भूमि की निम्नानुसार सुरक्षा एवं संरक्षण किया जाएगा।

(i) पक्षियों के स्थानीय प्रवास मार्ग सहित उनके घोंसला वाली भूमि की सुरक्षा की जायेगी। उस स्थान में पवन चक्कियों, पारेषण लाइनों ओर अन्य क्रियाकलापों के निर्माण सहित कोई विकासात्मक क्रियाकलाप नहीं किए जाने चाहिए जिनका घोषला भूमि तथा प्रवास मार्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(ii) लवणीय दलदली भूमि तथा अन्य तटीय जल निकायों की जैव-विविधता को समृद्ध बनाने सहित वन और कच्छ वनस्पति क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि जलीय पक्षियों के लिए उपयुक्त पर्यावास सुलभ हो सकें।

1.9 भू-आकृतिक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) **अभिज्ञात रेत** के टीलों का संरक्षण और सुरक्षा निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) अभिज्ञात रेत के टीलों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) पैदल मार्गों, टेंट और इसी तरह के अन्य स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल अस्थायी पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने के सिवाए कोई विकासात्मक क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं होंगे।

(ग) टेलिंग या अन्य उपयुक्त रेत का ठीक प्रकार से प्रयोग करके दुर्लभ खनिज निकालने के सिवाए रेत के टीलों से रेत का खनन निषिद्ध क्रियाकलाप है।

(घ) रेत के टीलों पर ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे जिनसे रेत के टीलों का क्षरण/विनाश होता हो।

(ङ) रेत के टीलों पर केवल स्थानीय वनस्पतियों का वनीकरण किया जाएगा।

(च) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र चिन्हित रेत के टीलों के लिए प्रबंध योजनाएं तैयार करेंगे।

(ii) रेतीले तट:

(क) टेलिंग या अन्य रेत का उपयुक्त प्रयोग करके दुर्लभ खनिज निकालने के सिवाए तटीय रेत का खनन निषिद्ध है।

(ख) आस-पास में तट की क्षति का पुर्वानुमान होने पर तटों पर अनुमेय विकास क्रियाकलाप शुरू किए जाते हैं तो इस स्थिति में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति के लिए तटों का आवश्यक सुधार किया जाएगा और उनके द्वारा तटों का दीर्घावधिक अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमांकित तटों के लिए प्रबंध योजनाएं तैयार करेंगे।

(iii) **जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स**:

(क) एनसीएससीएम द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स अभिज्ञात किए जाएंगे।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे सीमांकित जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैटस के लिए प्रबंध योजनाएं तैयार की जाएंगी।

1.10 पुरातत्वीय महत्व के क्षेत्रों या अवसंरचना तथा विरासत महत्व के स्थल :

(i) राज्य पुरातत्वीय एजेंसियां संबंधित अधिनियमों/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अभिज्ञात सभी पुरातत्वीय संरचनाओं तथा विरासत स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) पुरातत्वीय तथा विरासत महत्व के अभिज्ञात क्षेत्रों या संरचनाओं के लिए कोई हानिकर क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवसंरचनाओं या क्षेत्रों का परिरक्षण किया जाए तथा ऐसे संरचनाओं के अग्रमार्ग/प्लिंथ क्षेत्र में परिवर्तन किए बिना क्रियाकलाप किए गए हों। ऐसे अवसंरचनाओं पर संरचना के बाहरी वास्तुकीय डिजाइन में परिवर्तन किए बिना इंटीरियर के सावधानीपूर्वक डिजायनिंग करने के पश्चात संगत मानकों के अनुसार प्रयोग करने पर विचार किया जाएगा।

****

<u>अनुबंध-II</u>

सीआरजेड-आईए को छोड़कर सीआरजेड में भंडारण के लिए अनुमत पेट्रोलियम व रसायन उत्पादों की सूची

(i) कच्चा तेल;
(ii) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस;
(iii) मोटर स्प्रिट;
(iv) कैरोसिन;
(v) विमान ईंधन;
(vi) हाई स्पीड डीजल;
(vii) लुब्रीकेटिंग ऑयल;
(viii) ब्यूटेन;
(ix) प्रोपेन;
(x) कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस;
(xi) नेफ्था;
(xii) फर्नेस ऑयल;
(xiii) लो सल्फर हैवी स्टॉक;
(xiv) लिक्विफाइड नेचुरल गेस;
(xv) उर्वरक व उर्वरकों के उत्पादन हेतु कच्चा माल;
(xvi) एसिटिक अम्ल;
(xvii) मोनो इकालीन ग्लाइकोल।

अनुबंध-III

नामोदिष्ट सीआरजेड क्षेत्रों में तटीय रिजार्टों/होटलों के विकास संबंधी दिशानिर्देश

1. सीआरजेड-II

पर्यटकों या यात्रियों के ठहरने के लिए सीआरजेड-।। के निर्धारित क्षेत्रों में तट रिजार्ट/होटलों का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अध्ययन होगा, अर्थात:-

(i) निर्माण की अनुज्ञा विद्यमान सड़क या विद्यमान प्राधिकृत निर्धारित संरचनाओं की भूमि की तरफ के लिए दी जाएगी।

(ii) निजी सम्पत्तियों के आस-पास वनस्पति क्षेत्र सहित तारवाड़ तथा कंटीली तार-बाड़ की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि फेसिंग से किसी भी तरह तट पर जनता के आने-जाने में बाधा न पड़े।

(iii) रेत के टीलों को समतल नहीं किया जाएगा;

(iv) खेल सुविधाओं के लिए गोल पोस्ट, नेट पोस्ट और लैम्प पोस्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्थाई निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(v) तहखाने के निर्माण की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि प्रस्तावक राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि निर्माण उस क्षेत्र में भू-गर्भीय जल के मुक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।

(vi) राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण इस प्रकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

(vii) परियोजना क्षेत्र से उपचारित बहिस्रावों, ठोस अपशिष्टों, उत्सर्जनों की गुणवत्ता तथा ध्वनि स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सहित सक्षम प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

(viii) बहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों के उपचार के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपचारित बहिस्रावों और किसी बहिस्राव या ठोस अपशिष्ट का विसर्जन तट पर न किया जाए।

(ix) यदि परियोजना में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि का दिक्परिवर्तन शामिल है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाए और परियोजना के लिए लागू अन्य केंद्रीय तथा राज्य कानूनों क्षेत्र के पर्यटन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2. सीआरज़ेड-।।।

सैलानियों या यात्रियों के अस्थाई-निवास हेतु सीआरज़ेड-।।। के निर्धारित क्षेत्रों में तट रिसोर्ट/होटलों के निर्माण, निम्नांकित परिस्थितियों के अध्यधीन होंगे, अर्थात;

(i) निजी संपत्तियों के चारों ओर वानस्पतिक आवरण के साथ पौधों और कांटेदार तारों द्वारा चारदीवारी के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि ऐसी चारदीवारी के कारण लोगों को समुद्रतट तक पहुंचने में कोई व्यवधान न हो;

(ii) रेत के टीलों को समतल नहीं किया जाएगा;

(iii) खेल सुविधाओं के लिए, गोल पोस्ट, नेट पोस्ट और लैम्प पोस्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(iv) तहखाने के निर्माण की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि प्रस्तावक राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि निर्माण-कार्य उस क्षेत्र में भू-गर्भीय जल के मुक्त प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा;

(v) राज्य भू-गर्भ जल प्राधिकरण, इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर विचार करेगा;

(vi) यद्यपि विकास रहित क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इण्डेक्स की गणना के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है,तथापि सम्पूर्ण भू-खण्ड का क्षेत्रफल, जिसमें वह भाग भी शामिल होगा जो विकास रहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, को भी ध्यान में रखा जाएगा;

(vii) सभी मालों (फ्लोर) का कुल ढका हुआ क्षेत्र, भू-खण्ड के कुल आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात फ्लोर स्पेस इण्डेक्स 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए तथा खुला क्षेत्र समतल होगा और उचित वनस्पतियों से आच्छादित होगा;

(viii) निर्माण-कार्य, आस-पास की स्थलाकृति एवं स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होगा;

(ix) निर्माण-कार्य में छत की कुल ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होगी और दो तल से ज्यादा (नीचे का तल व उसके ऊपर का तल) का निर्माण नहीं होगा;

(x) भूगर्भ-जल को उच्च ज्वार रेखा में 200 मीटर के नीचे से नहीं लिया जाएगा; 200-500 मीटर के ज़ोन में केन्द्रीय या राज्य भू-जल बोर्ड की सहमति से ही लिया जा सकता है;

(xi) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर की दूरी में बालू का खनन, समतल करना या बालू को खोदना, केवल बिल्डिंग की बुनियाद यास्वीमिंग पुल को छोड़कर अनुमत नहीं होगा;

(xii) परियोजना क्षेत्र में शोधित बहिस्रावों, ठोस कचरे, धुंए तथा शोर के स्तर आदि की गुणवत्ता,केन्द्रीय अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सक्षम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए मानकों के अनुसार होगी;

(xiii) बहिस्रावों तथा ठोस कचरे के शोधन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अवश्य की जानी चाहिएऔरइस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि अशोधित बहिस्राव तथा ठोस कचरे को पानी में या तट पर फेंका या छोड़ा न जाए; तथा कोई भी बहिस्राव या ठोस कचरा, समुद्र तट पर छोड़ा नहीं जाएगा;

(xiv) समुद्र तट पर लोगों की पहुंच को अनुमति देने हेतु किन्हीं दो होटलों या समुद्रतटीय रिज़ॉर्टों के मध्य कम से कम 20 मीटर की चौड़ाई का अन्तराल होना चाहिए; और किसी भी स्थिति में कुल अन्तराल 500 मीटर से कम नहीं होगा; तथा

(xv) यदि परियोजना में वन भूमि का अपवर्तन, वनेतर प्रयोजनों से किया जाना है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के लागू होने वाली सभी आवश्यकताओं को परियोजना द्वारा पूर्ण किया जाएगा; तथा राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

टिप्पण:पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (जैसाकि समुद्री पार्क, मैंग्रोव, प्रवालभित्ति, मछलियों का जनन व पालने का क्षेत्र, वन्यजीव पर्यावास तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें केन्द्र या राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो) में समुद्रतटीय रिज़ॉर्ट/होटलों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

*****

अनुबंध-IV

तटीय ज़ोन प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश

1. उच्च ज्वार रेखा और निम्न ज्वार रेखा का चिन्हांकन

एनसीएससीएम द्वारा देश की सम्पूर्ण समुद्र तट रेखा के लिए उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) और निम्न ज्वार रेखा (एलटीएल) के किए गए चिन्हांकन को तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया गया है तथा एचटीएल और एलटीएल का किया गया ऐसा सीमांकन ही इस अधिसूचना के तहत सभी प्रयोजनों के लिए लागू होगा।

2. सर्वे ऑफ इण्डिया (एसओआई) द्वारा किसी समयावधि में हुए जल स्तर घट-बढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और तट रेखा परिवर्तनों (अपक्षरण/संचयन) के कारण भू-क्षेत्र में बाढ़ के विस्तार को ध्यान में रखते हुए 'जोखिम रेखा'का सीमांकन किया गया है। एसओआई द्वारा मानचित्रित जोखिम रेखा को एनसीएससीएम के माध्यम से तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है। जोखिम रेखा का उपयोग अनुकूलक और उपशमन उपायों की योजना बनाने सहित तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु एक उपकरण के तौर पर किया जाएगा। तटीय समुदायों की असुरक्षा में कमी करने और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के विचार से सीज़ेडएमपी को तैयार करते समय जोखिम रेखा और एचटीएल के बीच के क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग की योजना बनाते समय जलवायु परिवर्तन और तटरेखा परिवर्तनों के ऐसे प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. सीज़ेडएम मानचित्र का निर्माण

(i) 1:25,000 पैमाने का आधार मानचित्र सर्वे ऑफ इण्डिया (एसओआई) से लिया जाएगा औरजब कभी भी 1:25,000पैमाने का मानचित्र उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आधार मानचित्र तैयार करने के प्रयोजन से 1:50,000 पैमाने के मानचित्र को 1:25,000 तक बड़ा करके प्रयोग किया जाएगा तथा ये मानचित्र निम्नांकित मानकों के अनुरूप होंगे :-

इकाई	:	7.5 मिनट X 7.5 मिनट
अंकन	:	सर्वे ऑफ इण्डिया की शीट की साख्यांकन पद्धति के अनुसार
क्षैतिजआधार	:	एवरेस्ट या डब्ल्यूजीएस 84
ऊर्ध्वाधर आधार	:	औसत समुद्रस्तर (एमएसएल)
स्थालाकृति	:	एसओआई मानचित्र की स्थलाकृति को आधुनिक उपग्रह इमेजेनरी या एरियलफोटोग्राफ का उपयोग करते हुए अद्यतन बनाया जाएगा।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या जे-17011/8/92-आईए-।।।, दिनांक 14 मार्च, 2014 के द्वारा अभिज्ञात किसी भी अभिकरण द्वारा उच्च ज्वार रेखा या एलटीएल के सीमांकन का उपयोग करते हुए 1:25,000पैमाने का तटीय ज़ोन प्रबंधन (सीज़ेडएम) मानचित्र तैयार किया जाएगा, जैसाकि एनसीएससीएम द्वारा किया जाता है।

(iii) विभिन्न विनियामक रेखाएं अर्थात एचटीएल से क्रमश: 20 मीटर, 50मीटर, 200मीटर और 500 मीटर की दूरी पर, जैसाकि विभिन्न सीआरज़ेड श्रेणियों में लागू है, और जोखिम रेखा का सीमांकन किया जाएगा और सीज़ेडएम मानचित्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।

(iv) एचटीएल, एलटीएल और सीआरज़ेड सीमाओं, यथा लागू, को भी सीज़ेडएम मानचित्रों में ज्वार द्वारा प्रभावित होने वाले अन्तर्स्थलीय जल स्रोतों के किनारों के साथ सीमांकित किया जाएगा।

(v) विभिन्न समुद्रतटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण,सीआरज़ेड अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा और मानक राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय रंग कोडों को प्रयोग किया जाएगा।

3. स्थानीय सीज़ेडएम मानचित्र

(i) स्थानीय सीज़ेडएम मानचित्र, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए स्थानीय निकायों तथा अन्य अभिकरणों के प्रयोग हेतु हैं।

(ii) भूकर (ग्रामीण) मानचित्र, जोकि 1:3960 या इसके नज़दीकी पैमाने पर राजस्व प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं, को आधार मानचित्रों के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

(iii) एचटीएल,एलटीएल और अन्य सीआरज़ेड विनियामक रेखाओं तथा जोखिम रेखा का सीमांकन, भूकर मानचित्रों में किया जाएगा और वर्गीकरणों को स्थानीय सीज़ेडएम मानचित्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।

4. सीआरज़ेड क्षेत्रों का वर्गीकरण

(i) सीज़ेडएम मानचित्रों में क्षेत्र की भू-उपयोग योजना स्पष्ट रूप सेचिन्हित की जाएगी और एनसीएससीएम द्वारा तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए मानचित्रण के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) या सीआरज़ेड-।क क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाएगा। ऐसे सभी ईएसए को रंग कोडो द्वारा समुचित ढ़ंग से सीमांकित किया जाएगा।

(ii) 1000 वर्ग मी. से अधिक के मैंग्रोव क्षेत्रों के चारों ओर बफर क्षेत्र को, मैंग्रोव क्षेत्र से भिन्न करते हुए अलग रंग से चिन्हांकित किया जाएगा। बफर क्षेत्र को भी सीआरज़ेड-। क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) सीआरज़ेड क्षेत्रों में, मछुआरा समुदाय के गांव, उनकी साझा संपत्तियां, मछली पकड़ने के घाट,बर्फ संयंत्र,मछली सुखाने के प्लेटफार्म अथवा क्षेत्र, मछुआरा और स्थानीय समुदाय की ढांचागत सुविधाओं जैसे कि दवाखाना, सड़कें, विद्यालय इत्यादि को भूकर पैमाने के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य, विस्तार और अन्य ज़रूरतों, साफ-सफाई, सुरक्षा और आपदा तैयारी सहित मूल सेवाओं के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तटीय मछुआरा समुदायों की दीर्घकालीन आवासीय ज़रूरतों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करेंगे।

(iv) सीआरज़ेड-IV के जल क्षेत्रों को सीमांकित किया जाएगा और यदि जल क्षेत्रसमुद्र, लगून, बैकवॉटर, क्रीक, खाड़ी इस्चुअरी आदि हो तो उसे स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा और जल क्षेत्रों के इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए नैवल-हाइड्रोग्रैफिक ऑफिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा।

(v) जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थानों तथा मछली प्रजनन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(vi) सीवीसीएमें, भू-उपयोग मानचित्रों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में अध्यारोपित किया जाएगा और इसमें सीआरज़ेड I, II, III, IV को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(vii) समुद्र की ओर विद्यमान प्राधिकृत विकास कार्यों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।

(viii) भविष्य में चक्रवातों, तूफानों, सुनामियों तथा इस तरह के आपदा के दौरान बचाव तथा राहत कार्यों के उद्देश्य के लिए सीजेडएम नक्शे पर चक्रवात आश्रयों, रेन शेल्टर्स, हेलिपैडों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं सहित सड़क नेटवर्क को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।

(ix) भवनों के निर्माण या अन्य कार्यकलापों को सीजेडएमपी के तहत अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि ठोस तथा तरल अपशिष्टों का उचि□त प्रबंधन तथा निपटान पर्यावरण मानकों, नियमों तथा कानूनों इत्यादि के अनुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अशोधित बहिस्राव को तटीय जल में निस्सारण नहीं किया जाएगा।

5. सीजेडएमपी पर जनता से परामर्श

(i) सीजेडएमपी पर तैयार मसौदे का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। सीजेडएमपी के मसौदे पर जन सुनवाई संबंधित सीजेडएमए द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी।

(ii) प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों के आधार पर सीजेडएमपी में संशोधित किया जाएगा तथा इस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(iii) अनुमोदित सीजेडएमपी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट सीजेडएमए के संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा इसकी हार्डकॉपी पंचायत कार्यालय, जिला कलेक्टर का कार्यालय तथा इसी तरह के कार्यालयों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं का संशोधन

(i) संदेह होने पर संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण मामले को राष्ट्रीय संवहनीय तटीय प्रबंधन केन्द्र को हस्तांतरित करेगा जो अद्यतन उपग्रह चि□त्र तथा धरातलीय सच्चाई पर आधारित सीजेडएमपी का सत्यापन करेगा।

(ii) आवश्यक होने पर संशोधित नक्शे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

****

अनुबंध-V

परियोजना सूचना का विवरण

1. परियोजना विवरण

क. परियोजना का नाम

ख. सर्वे नं./गांव/कोर्डिनेट

ग. जिला

घ. राज्य

ड. किसके लिए प्रस्ताव (संबंधित क्षेत्र का चयन करें) है :

(i) सीआरजेड के तहत नयी मंजूरी

(ii) पहले से जारी सीआरजेड की मंजूरी में संशोधन

(iii) पहले से जारी सीआरजेड मंजूरी की वैधता को बढ़ाना

च. आवेदक का नाम

छ. आवेदक का पता

ज. संपर्क का विवरण : (दूरभाष संख्या तथा ईमेल पता)

झ. परियोजना की लागत (करोड़ रु. में)

2. परियोजना का लाभ

क. परियोजना लाभ का विवरण

ख. संभावित रोजगार का सृजन (हां/ना)

(i) अपेक्षित कुल जनशक्ति

(ii) स्थायी रोजगार (संख्या)

(iii) अस्थायी रोजगार (संख्या)

(iv) अस्थायी रोजगार - निर्माण के दौरान (संख्या)

(v) अस्थायी रोजगार- प्रचालन के दौरान (संख्या

3. विचाराधीन परियोजना का विवरण (परियोजना की श्रेणी का चयन करें) :

क. आश्रय/भवन/नागरिक सुविधाएं

(i) कुल क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी. में)

(ii) संरचना की ऊंचाई

(iii) एफएसआई अनुपात

(iv) संबंधित नगर योजना प्राधिकारी/पंचायत इत्यादि का नाम

(v) कार पार्किंग क्षेत्र के प्रावधान का विवरण

ख. तटीय सड़कें/स्टिल पर सड़कें

(i) भूमि सुधार का क्षेत्र

(ii) उद्धार के लिए अनुमानित मलवा मिट्टी की मात्रा

(iii) परिवहन की क्षमता

(iv) सड़क का परिमाप

ग. थर्मल पावर ब्लो डाऊन से पाइपलाइनें

(i) पाइपलाइन की लंबाई

(ii) सीआरजेड क्षेत्र की अनुपात लंबाई

(iii) खुदाई की गहराई

(iv) खुदाई की चौड़ाई

(v) समुद्र के किनारे से समुद्र की गहराई तक पाइप लाइन की लंबाई

(vi) समुद्र जल की सतह से आऊट प्वांइट की गहराई

(vii) निस्सारण बिंदु पर परिवेश के ऊपर बहिस्राव का तापमान

घ. पाइपलाइन के माध्यम से शोधित बहिस्राव का समुद्र तट में निपटान

(i) प्रवेश/निकास का स्थान

(ii) आउटफाल बिंदु की गहराई

(iii) पाइपलाइन की लंबाई

(iv) सीआरजेड क्षेत्र की अनुप्राय लंबाई

(v) खुदाई की गहराई

(vi) खुदाई की चौड़ाई

(vii) किनारे से लेकर गहरे समुद्र संकरी खाड़ी तक पाइपलाइन की लंबाई

(viii) जल के सतह से आउट फाल बिंदु की गहराई

(ix) निस्सारण बिंदु पर जल की गहराई

(x) बहिस्राव, बीओडी, सीओडी, टीएसएस, तेल एवं ग्रीस, भारी धातुएं

ड. सामानों/रसायनों के भण्डारण की सुविधा

(i) रसायन का नाम

(ii) रसायन के उपयोग का अंतिम उपयोग

(iii) भण्डारण के लिए टैंकों की संख्या

(iv) टैंकों की क्षमता

च. अपतटीय ढांचा

(i) अन्वेषण या विकास

(ii) समुद्री तल की गहराई

(iii) किग्स की संख्या

(iv) प्लेटफार्म की संख्या

(v) समूह ग्रोहिंग स्टेशनों का विवरण

छ. विलवणीकरण संयत्र

(i) विलवणीकरण की क्षमता

(ii) कुल लवण जल उत्पादन

(iii) निस्सारण बिंदु पर परिवेश से ऊपर बहिस्राव का तापमान

(iv) परिवेशी लवणता

(v) निपटान बिंदु

ज. दुर्लभ भूमि/आणविक खनिजों की खुदाई

(i) खनन की क्षमता

(ii) निष्कर्षित किए जाने वाले खनिज

(iii) खनिज का अंतिम उपयोग

झ. मलजल उपचार संयंत्र

(i) क्षमता

(ii) निर्माण का कुल क्षेत्र

(iii) सीपीसीबी/एसपीसीबी/अन्य प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा यथानिर्धारित बहिस्राव मापदंड का अनुपालन

(iv) क्या निस्सारण समुद्र जल/संकरी खाड़ी में किया जा रहा है? यदि हां

- समुद्र तट/ज्वारीय नदी के किनारे से समुद्री आऊट फाल बिंदु की दूरी
- समुद्री जल/नदी जल के सतह से आऊट फाल बिंदु की गहराई
- आऊट फाल बिंदु पर समुद्र तल/नदी तल की गहराई

ञ. लाइट हाऊस

(i) संस्थापना/प्लेटफार्म का कुल भूमि क्षेत्र

(ii) संरचना की ऊंचाई

ट. पवन चक्की

(i) क्षमता (मेगावाट)

(ii) पवन चक्की की ऊंचाई

(iii) पवन चक्की का व्यास

(iv) ब्लेड की लंबाई

(v) घूर्णन की गति

(vi) प्रसारण की रेखा, (ऊपरी या भूमिगत)

ठ. अन्य

(i) कृपया महत्वपूर्ण विशेषताएं के साथ उल्लेख करें

(ii) संगत कागजातों को दर्शाएं (केवल पीडीएफ में अपलोड करें)

4. सीआरजेड वर्गीकरण के अनुसार परियोजना की स्थिति (यदि परियोजना स्थल विभिन्न/भिन्न सीआरजेड श्रेणियों में पड़ता है तब भी उसका उल्लेख किया जाए) ।

5. सीआरजेड अधिसूचना की धारा जिसके तहत यह परियोजना अनुमत/विनियमित कार्यकलाप है।

6. परियोजना मूल्यांकन के लिए आवश्यक कार्य क्षेत्र

क. एचटीएल, एलटीएल सीमांकन दर्शाते हुए 1:4000 मान सीआरजेड मानचित्र और एचटीएल से समीपी परियोजना सीमादीवार (मीटर में) की दूरी का उल्लेख किया जाएगा:

(i) अपलोड मैप (किमी में फाइल)

ख. परियोजना की स्थिति के वर्गीकरण सहित अन्य तैयार अधिसूचित ईएसए के साथ सीआरजेड नक्शा - 1:4000 मान पर अध्यारोपित परियोजना का अभिविन्यास

(i) अपलोड मैप (किमी में फाइल)

ग. परियोजना स्थल के आस पास से 7 किमी व्यास को शामिल करते हुए 1:25000 मान पर सीआरजेड नक्शा :

(i) अपलोड मैप (किमी में फाइल)

7. **परियोजना की स्थिति** (प्रकार का चयन करें)

(i) अपरदनरहित तटीय

(ii) निम्न एवं मध्यम अपरदन तट

(iii) अत्यधिक अपरदन तट

8. **शामिल वन/कच्छ वनास्पति भूमि का विवरण (हां/ना) यदि हां तो**

(i) अपवर्तित भूमि का विवरण

(ii) प्रस्तुत की जाने वाली पर्यावरण मंजूरी (कागजात अपलोड करें)

(iii) इस परियोजना में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या

(iv) प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिपूरक वनीकरण योजना (कागजात अपलोड करें)

9. **ईएसए/तटीय पार्क/वन्यजीव अभयारण्य से प्रस्तावित परियोजना की दूरी**

(i) परियोजना स्थल के 10 किमी के दायरे में (हां/ना) यदि हां

- एनडब्ल्यूबीएल से अनुमति को प्रस्तुत करना (कागजात अपलोड करें)

10. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थापना की सहमति (हां/ना) यदि हां**

(i) एनओसी की प्रति प्रस्तुत करें (कागजात अपलोड करें)

(ii) लगाई गई शर्तों का उल्लेख करें (कागजात अपलोड करें)

11. **ईआईए अध्ययन (संबंधित विषय को भरें)**

क. स्थलीय अध्ययन

(i) ईआईए (स्थलीय) अध्ययन का संक्षिप्त ब्यौरा

(ii) ईआईए में की गई संस्तुति को अपलोड करें (कागजात अपलोड करें)

(iii) अध्ययन की समयावधि का उल्लेख

ख. समुद्र तटीय अध्ययन

(i) ईआईए (समुद्री) अध्ययन के सारांश का विवरण

(ii) ईआईए में की गई संस्तुति को अपलोड करें (कागजात अपलोड करें)

(iii) अध्याय की समयावधि का उल्लेख

12. **आपदा प्रबंधन योजना/राष्ट्रीय तेल छितराव आपदा संभावना योजना (यदि लागू हो)**

13. **तरल बहिस्राव के निस्सारण में शामिल परियोजना :**

(i) एसटीपी की क्षमता

(ii) उत्पन्न बहिस्राव की मात्रा

(iii) उपचारित बहिस्राव की मात्रा

(iv) उपचार और निपटारे का तरीका

14. ठोस अपशिष्ट के निस्सारण में शामिल परियोजना :

(i) ठोस अपशिष्ट का प्रकार

(ii) उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा

(iii) निस्सारण का तरीका

(iv) परिवहन का स्वरूप

15. जल आवश्यकता (केएलडी)

(i) अपेक्षित जल की मात्रा

(ii) जल का स्रोत

(iii) यदि भूमिगत जल (सीजीडब्ल्यूए या प्राधिकृत निकाय से अनुमोदन की प्रति अपलोड करें)

(iv) यदि कोई अन्य स्रोत हो (सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति की प्रति संलग्न करें)

(v) परिवहन का स्वरूप

(vi) जलापूर्ति की सपुर्दगी (दस्तावेज अपलोड करें)

16. जल शोधन तथा पुनश्चक्रण का विवरण (यदि कोई हो) (बहुविध प्रविष्टियों की अनुमति है)

प्रकार/स्रोत	सृजित अपशिष्ट जल की मात्रा (किलो मीटर प्रति दिन)	शोधन क्षमता (किलो मीटर प्रति दिन)	शोधन क्षमता	निपटान का स्वरूप	छोड़े गए जल की मात्रा (किलो लीटर प्रति दिन)	पुनश्चक्रण/पुन: उपयोग में प्रयुक्त शोधित जल की मात्रा

17. वर्षा जल संचय का विवरण

(i) भण्डारण टैंकों की संख्या

(ii) टैंक की कुल क्षमता

(iii) रिचार्ज गड्ढो की संख्या

(iv) गड्ढो की क्षमता

18. अपेक्षित ऊर्जा और स्रोत

(i) कुल अपेक्षित ऊर्जा (किलोवाट एच)

(ii) स्रोत

(iii) समझौते की प्रति अपलोड करें (केवल पीडीएफ में अपलोड करें)

(iv) एवजी प्रबंधन (विवरण)

19. ऊर्जा दक्षता/बचत के उपाय

(i) स्रोत/स्वरूप

(ii) बचत का विवरण

20. राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की संस्तुति

(i) सीजेडएमए की संस्तुति की प्रति अपलोड करें (केवल पीडीएफ में अपलोड करें)

(ii) लागू शर्तों के अनुपालन की स्थिति

21. क्या प्रस्ताव पर ईआई अधिसूचना, 2006 लागू है (हां/ना)

(i) उसकी श्रेणी का ब्यौरा

(ii) ईसी के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा (जैसा लागू हो)

22. सामाजिक तथा पर्यावरणीय मामलों तथा सुझाए गए उपशमन के उपायों सहित लेकिन आर एंड आर, जल, वायु, खतरनाक अपशिष्ट, पारिस्थितिकीय पहलू इत्यादि तक सीमित नहीं। (संक्षिप्त विवरण दें)

23. न्यायालय के मामलों का विवरण क्या परियोजना तथा या भूमि जहां परियोजना स्थापित करना का प्रस्तावित के विरूद्ध कोई मामला न्यायालय में लंबित है (हां/ना)

यदि हां,

लंबित या समाप्त (संगत का चयन करें)

(i) न्यायालय का नाम (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनजीटी)

(ii) मामला संख्या

(iii) मामले का विवरण

(iv) न्यायालय का आदेश/निर्देश यदि कोई हो तथा प्रस्तावित परियोजना से इसकी संगतता (कागजात अपलोड करें)

24. अतिरिक्त सूचना, कोई हो

वचनबद्धता : यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है तथा सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

****